22/12/20 वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित हुआ। आदेश हेतु दिनांक 28/12/20 को पेश हो।

28/12/20 वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थिनी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अवलोकन किया। प्रार्थिनी/वादी के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि राजीनामा अनुसार डिक्री की जावे और प्रार्थिनी/वादी को ISEEA के मु० रु० 75 के बिल का 50% की कुल राशि सुरक्षा धरोहर राशि 5% की मांग का आदेश किया जावे। प्रार्थिनी को सुना गया।

अतः पत्रावली का पाठ एवं राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री बिल्ड से लिखा जाकर वाकिल बिल्ड किया जाता। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2022.12.14 16:27:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner